

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 648  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:-20-06-18

प्रार्थी श्री हनुम - गां० लक्ष्मण - देवा - पारक सोमी पि. रूपा, मोती देवा रूपा सोमी  
जति 2/10 उम्र 40 नि० पत्रावली तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक  
अदालत धारा दिनांक 20-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा खावडी पंचायत समिति  
खावडी में स्थित खाता संख्या 155 पर आराजी नं० 500 कुल 1 बीघा  
10 बिस्वा किता 1 योग रकबा 100000 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि  
कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद  
होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर  
पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के  
साथ अप्रार्थी श्रीमती लक्ष्मण देवा नि० पत्रावली ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है।  
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम खावडी के खसरा नं० 499 रकबा 1  
बीघा 2 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 100000 की जनाबंदी सम्वत् 2070-73  
की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी  
प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का  
कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा खावडी में स्थित  
खाता संख्या 155 पर आराजी नं० 500 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1  
1 कुल रकबा 100000 की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा खावडी में स्थित खाता संख्या 155 पर आराजी नं० 500  
रकबा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बिस्वा विवादग्रस्त  
आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक अशोक  
के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी  
की जाये। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रु० 500/- प्रार्थी स्वयं  
राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जाये। पत्रावली फौसल में शुमार होकर नन्दर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर